परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रनकोट उप्रेती मोटर मार्ग (लम्बाई 2.250 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रनकोट उप्रेती मोटर मार्ग निर्माण हेतु परियोजना कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. पहाड कटान कार्य मार्ग निर्माण हेतु।
2. रिटेनिंग वॉल एवं वेस्ट वॉल का निर्माण।
3. स्कपर एवं कॉजवे का निर्माण।
4. कच्ची तथा पक्की नाली का निर्माण।
5. किमी0 स्टोन , है0मी0 स्टोन, एज स्टोन तथा संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

2.27

प्रपत्र–13

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

वन क्षत्राधिकारी
गंगोलीहाट वन क्षेत्र
पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौ

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग

P– 18

Geological Assessment of the Alignment Corridor Proposed For – Gangolihat to Rankot Upreti Motor Road, Distt. Pithoragarh

J.P. Madhwal
11/11/2013

Introduction :- The PMGSY, PWD, Pithoragarh has proposed the construction of 2.250 Km. long motor road named Gagolihat to Rankot Upreti motor road under PMGSY Project on the request of the Executive Engineer, PMGSY, PWD, Pithoragarh I carried out the geological assessment of the proposed alignment of the road in presence of the concerned J.E. and a person of MAGOT Engineering Consultants Pvt.Ltd., D.Dun on Dated 05/11/2013.

1. **Location:-** The proposed alignment originates from Gangolihat to Pithoragarh motor road at Km. 3.000 the place named Nela Patal as a Branch Road. Three H.P. Bend has been proposed for the said road.

2. **Geological Assessment:-** Geologically the area of the proposed road is located in the inner lands of Kumaon Lesser Himalaya Belt which is mostly occupied by the rocks of Gangolihat dolomites & Berinag quartzite. Limonite-studded carbonaceous and grey phyllite, slates inter banded with blue – white or grey thin bedded lime stones. Berinag quartizite is also exposed in some part of alignment. These rocks are massive to thinly bedded, soft to very hard, compact and partially weathered in nature.

   Four prominent and one random joints set in addition to minor shear zone traverse these rocks and control the stability of the various slope facets of the alignment passes are inclined at moderate to steep angle and these are partially covered with the overburden material of varying thickness ranging from 0.5 m to 1.5 m thick. The rock mass exposed along the alignment corridor is mostly hard and its "Uniaxial Compressive Strength" has been estimated ranging between 50 M Pa to 100 M Pa (ISRM Manual Index). By and large the joints traversing the rock masses are widely spaced through except at places where the rocks is sheared and shattered. The values of the Rock Quality Designation (RQD) calculated at the site ranging between 81 percent to 100 percent suggests that the slope forming rock masses are less distressed in nature and decrease the risks of instability. All the joints planes of the rocks are rough to moderately smooth, tight and sometimes sealed with the secondary inclusion.

Photo copy Attested
सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
लो० नि० वि० पिथौरागढ़

The details of the joints recorded at the site are given in the following table:-

Table

S. No.	Feature	Dip angle	Azimuth
1	2	3	4
J_1	(S_0 Bedding Joint)	70^0	N180
J_2	(S_1 Foliation Joint)	40^0	N160
J_3	(Random Joint Set)	80^0	N175
J_4	(Sealed with Quartzite's)	55^0	N175
J_5	Joint	25^0	N320

The overburden material exposed along the alignment corridor is comprised of the scanty rock fragments of various shapes and sizes embedded in the clay- silt matrix. This overburden material is naturally well compacted and dense in nature.

The slope forming overburden materials do not contain any soft/dispersive soils.

By and large the alignment slopes are stable and do not bear any signature of mass wasting/land sliding.

On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

3. Recommendation:-

(i) The alignment some time traverses along/across minor fault zone which is geologically fragile and special attention needs to be given for stability of road where alignment crossing the Nalas or Gads or Local streams.

(ii) The hill slope is another factor responsible for geological hazards: the road basically traverses the slope class 38^0 to 52^0 special attention needs to be given for stability where it is 48^0 to 60^0 in some parts.

(iii) Form the road by half cut – half fill techniques and ensure the proper compaction of the fill material.

(iv) Do not dispose the debris in hill side, dispose it in a safe zone.

Photocopy Attested
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई खण्ड
लो० नि० वि० पिथौरागढ़

(v) Do not blast heavily on the rocks and blasting is restricted near the human settlement / public property.

(vi) The road must have extra wide lined long drain with adequate cross drainage arrangement.

(vii) The road must be formed shoulder to shoulder paved, this is so to check the water ingress into the sub surface material.

(viii) Construct suitably designed retaining walls / Brest wall all along the road, it is essential for the overall stability of the hill slope.

(ix) Construct Causeways at Km. 2.000.

(x) All the construction activity must be carried out as per the standards and norms following the IS codes prescribed for the similar civil construction in Himalayan Zone.

4. **Conclusion:-** On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site was found geologically suitable for the construction of 2.250 Km. long motor road named Gangolihat to Rankot Upreti motor road, Distt. Pithoragarh, Uttrakhand.

(J.P. Madhwal)
Consultant Geologist

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 उत्तराखण्ड
लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़

प्रपत्र–25

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains. longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants

In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with god results

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

P-35

2.30

प्रपत्र–26

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल वर्णित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित् नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान सक्षम विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत है।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनाँक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्डे वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ो पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इस सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटिटयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,	पी0एम0जी0एस0वाई,	पी0एम0जी0एस0वाई
लो0नि0वि0	लो0नि0वि0	लो0नि0वि0
पिथौरागढ	पिथौरागढ	पिथौरागढ

P-36

2.31

प्रपत्र–24

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

P-93

2.32

प्रपत्र–27

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 पिथौरागढ	Reena Negi सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 पिथौरागढ	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

ह0/–
(राजस्व उपनिरीक्षक)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग
पिथौरागढ

ह0/–
(तहसीलदार)

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट वन क्षेत्र

ह0/–
(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

P-37

प्रपत्र–28

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

प्रपत्र–29

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को /रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

2.35

प्रपत्र–30

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या केसम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0 सं0	गाँव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
1	रणकोट उप्रेती	998300	436
योग			**436**

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

राजस्व उपनिरीक्षक

P-40

2.36

प्रपत्र–35

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनॉक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता नियता निम्नानुसार है:–

1. ईको–क्लास श्रेणी VI
2. हरियाली का घनत्व 0.3 ~~से 0.4 प्रतिशत~~ .4
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 6,99000/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल **1.5375**
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 1072965/-

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट वन क्षेत्र
पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग
पिथौरागढ

प्रभागीय वनाधिकारी

P-50.

2.36/237

प्रपत्र–36

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रनकोट उप्रेती मोटर मार्ग (लम्बाई 2.250 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लीज अवधि का प्रमाण – पत्र

लागू नहीं

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

2.40/2.41.

:: प्रारुप–52 ::

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रनकोट उप्रेती मोटर मार्ग (लम्बाई 2.250 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क. स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना	9.00	0.900	0.900	0.100	0.729	Cum	221.50	161.47
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	9.00	0.900	0.900	0.030	0.219	Cum	352.30	77.15
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	9.00	0.900	0.900	0.900	6.561	Cum	7032.60	46140.89
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना	Reinforcment of R.C.C. Pillars (1.50%)				7.73	Qtl	5596.97	43264.58
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	9 x 4	0.900		0.800	25.92	Sqm	159.80	4142.02
		9 x 1	0.900	0.900		7.29	Sqm	159.80	1164.94
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	9.00	5.00 Cm.			45.00	Cum	0.50	22.50
8	पानी की ढुलाई आदि	9.00				9.00	Qtl	57.25	515.25
	कुल योग								95488.80

J.E

AE

2.43 (i)

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)–

सिविल सोयम भूमि	–	1.5375 है0
निजी भूमि	–	0.3395 है
योग	–	1.8770 है0

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 पिथौरागढ।

3. वन प्रभाग का नाम – पिथौरागढ़ वन प्रभाग।

4. प्रस्ताव बाइंडिग किया गया है – हाँ/ नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है – हाँ/ नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग–1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। – हाँ/ नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनाँक व स्थान भरा गया है। – हाँ/ नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। – हाँ/ नहीं

9. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हाँ/ नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है। – हाँ/ नहीं

11. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। – हाँ/ नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है – हाँ/ नहीं

2.43 (ii)

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। – हाँ/ नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है – हाँ/ नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/ नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हाँ/ नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हाँ/ नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हाँ/ नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/ नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है – हाँ/ नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) – हाँ/ नहीं

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगो से भरा गया है – हाँ/ नहीं

23. यदि सड़क का आरंभिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हाँ/ नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है – हाँ/ नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये। – हाँ/ नहीं

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये है – हाँ/ नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) – हाँ/नहीं

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) – हाँ/नहीं (क्षे0 5 है0 से कम)

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है – हाँ/नहीं

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है – हाँ/ नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–प्रत्र संलग्न है– हाँ/नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/ नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है – हाँ/ नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हाँ/ नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है – हाँ/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग पिथौरागढ़

प्रपत्र–5

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, PMGSY P.W.D Pithoragarh, for diversion under FCA-1980) of **1.5375** ha of forest land non-forestry purpose The project envisages the use of forest land for construction of **Ganolihat to Rankot Upreti** Motor Road under PMGSY **2.500** kms. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 1-7-2014.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring **1.5375** ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part-1 is unavoidable and is minimum required for the project Yes.

Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the detail there of:- No.

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC form competent authority, if required. Not required

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. No.

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per Para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Hence, the Proposal is recommended for acceptance.

Place: Pithoragarh.
Date: 10-10-2014.

Signature (Dr. J.P. Singh)
Name.....
Designation .....प्रभागीय वन अधिकारी
Office Seal विभागीय वन प्रभाग
पिथौरागढ़

NB
x. state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
xx. Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which in not Applicable

As per letter 2-2/2000 FC dated 16102000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving leases then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCP is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation forests is required

प्रपत्र–22

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण –पत्र

जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.877 है0 भूमि प्रस्तावित है। जिसमें वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 1.5375 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण नहर निर्माण पारेसण लाईन ओ0एफ0सी0 केविल पाइप लाइन विछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural tribal Groups)प्रभावित नहीं हो रहा है।

ह0/–

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र–21

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना।

5.00 है0 क्षेत्रफल से कम है लागू नहीं हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

प्रपत्र–2

परिशिष्ठ

(देखिये नियम–6)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–I

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	–	जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	–	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	–	2.250लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना सीमित करने का औचित्य।	–	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	–	लागू नहीं
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	–	मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल / अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	–	सिविल सोयम भूमि – 1.5375 है0 नाप भूमि 0.3395 है0 } 1.8770 है0
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	–	लागू नहीं है
	क) परिवारों की संख्या	–	शून्य
	ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	–	शून्य

ग)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	–	शून्य
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)	–	नहीं
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	–	संलग्न है
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।	–	संलग्न है

दिनाँक 20-9-14

स्थान पिथौरागढ़

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम–

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई.
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट वन क्षेत्र
पिथौरागढ़ का प्रभार पिथौर

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र–2.1

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या....................

7.	परियोजना / स्कीम का नाम :–		जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती (2.250 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
i)	राज्य / संघशासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	–	पिथौरागढ़
iii)	वन प्रभाग	–	पिथौरागढ़ वन प्रभाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	–	1.5375 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	–	सिविल सोयम भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	–	~~0.3 से 0.4 प्रतिशत~~ .4
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	–	संलग्न है
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	–	संलग्न है
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	–	1500 मी0 (लगभग)
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	–	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	–	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	–	नहीं

8–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जाचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	–	वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9–क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।	–	वन अधिनियम के उल्लंघन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	– प्रतिपूरक वनीकरण सिविल एवं सोयम मौजा *रणकोट उप्रेती* मे किया जाना है।
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	– मैप संलग्न है
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	– संलग्न है
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	– 1.3 लाख प्रति है0
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	– संलग्न है

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) – ....संलग्न है........

12– प्रभाग / जिला प्रोफाइल

i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र।	– 7169.00 ~~है0~~ वर्ग किमी.
ii.	जिले का वन क्षेत्र।	– ~~913.824 है0~~ 215150.56 है.
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	– 913.824 है.
iv.	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	– 1112.00 है
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	– 415.00
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	

9/2014 ....तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क)	वन भूमि पर	– 2174 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	– 495.00 है0

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। – संस्तुति सहित अग्रसारित प्रयोक्ता संस्था द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
सहमत

दिनांक 9-10-2014.

स्थान पिथौरागढ़

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मुहर

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रपत्र–2.2

भाग–III

14– सीमा, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। –

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। –

16– . प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। –

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि.....
स्थान.....

प्रपत्र–2.3

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन सरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की स्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.4

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18– राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग– II या भाग– III या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

तिथि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र–39.

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग (2.250 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विस्फोटकों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में सड़क नव निर्माण कटिंग के दौरान पडने वाले चट्टानों पर कम तीव्रता के विस्फोटकों का प्रयोग संलग्न स्थानों के विवरण के अनुसार किया जायेगा। जिसका निविदा आमंत्रण/स्वीकृत होने के पश्चात कार्य करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई,
लो0नि0वि0
पिथौरागढ़